

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 38/24 प्राप्त्र

1- श्रीमती प्यारी देवी वंशी बैक बलार् निवासी-आलमास तहसील-माण्डल (बंगोर)

-प्राणी

बनाम

1- श्री मेधा वंशी डोग बलार् निवासी-आलमास तहसील-माण्डल (बंगोर)
(पृष्ठोक्ति प्राप्त्र रालग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम...आलमास...पटवार हल्का...आलमास...तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 0 1400/577...कुल कित्ता...01...रकबा...1.0117...हेक्टर रित्त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27-02-24...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...आलमास...पटवार हल्का...आलमास...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं...1400/577...कुल कित्ता...01...रकबा...1.0117...हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारि किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-आगिलेख निरीक्षक...आलमास...को...700...रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फराल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्र...
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
माण्डल